

08.01.13
124

JS. cum - JD



- 3 JAN 2013
511

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०. एल० ए० / एस० एस० -1/श० स्था० नि०/14317/938

दिनांक:- 24.12.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना


महाशय,

नगर पंचायत जनकपुर रोड के वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 06/12-13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,


लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर-1
बिहार, पटना

123/5
9/1/13
S. K. Kulkarni
10/1

10
20/10
06
11/01/13

**नगर पुंचायत जनकपुर रोड
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-06/12-13
(अवधि- 2009-10 से 2010-11 तक)**

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, जनकपुर रोड (सीतामढी) के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2010-11 की अवधि हेतु कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 23.03.12 से 31.03.12 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र०सं०	नाम	कार्यावधि
	अध्यक्ष	
(क)	श्रीमती शैल देवी	1.04.09 से 11.03.10 तक
(ख)	श्री मनोज कुमार यादव	12.03.10 से 31.03.11 तक
	उपाध्यक्ष	
(क)	श्री दिनेश भारती	1.04.09 से 11.03.10 तक
(ख)	श्रीमती नीलम देवी	12.03.10 से 31.03.11 तक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(क)	श्री संतोष कुमार झा	1.04.09 से 20.04.10 तक
(ख)	श्री चंद्रशेखर सिंह	21.04.10 से 31.03.11 तक

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान जो अभिलेख/संचिका/पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किये गये उनकी सूची परिशिष्ट-I(क) में और जो अभिलेख/संचिका/पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये उनकी सूची परिशिष्ट-I(ख) में दी गयी है।

4. लंबित कंडिकाएँ

नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 712/09-10 के 26 कंडिकाओं में से 11 कंडिकाओं का अनुपालन किया जा चुका था। अंकेक्षण दल द्वारा नगर पंचायत से शेष 15 लंबित कंडिकाओं (कंडिका सं०-3,6,7,8,9,11,12,15,17,18,20,21,22,23,25) का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया था। साथ ही उक्त प्रतिवेदन के अलावा अन्य पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं, का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कहा गया था। परंतु नगर पंचायत के द्वारा अंकेक्षण दल के समक्ष लंबित कंडिकाओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण के अंत में लेखापाल के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जायेगा। अतः लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक को यथाशीघ्र भेजा जाय।

5. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र०सं०	कंडिका सं०	विवरण	राशि(₹)
1	11	नहीं जमा/कम जमा	1,47,471.00
2	12	नक्शा पारित कराये बिना मकान बनाने वाले गृहस्वामियों से शुल्क की वसूली	3,11,000.00
3	14	सैरातों के न०प० को हस्तांतरित नहीं होने के कारण राजस्व की भारी हानि	—
4	15(ख)	श्रम उपकर की कटौती नहीं	15,606.00
5	16	विलंब से पूर्ण की गयी योजनाओं में क्षतिपूर्ति की राशि नहीं काटना	1,43,456.00
6	17	दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय	3,43,623.00

6. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका लेखा नियमवली-1928 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विविध प्रकार के आंतरिक जाँच का प्रावधान किया गया है। पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 97 में बिहार सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधान के तहत दिन/प्रतिदिन के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने का प्रावधान है।

परंतु, उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत के लेखाओं में विविध त्रुटियाँ दृष्टिगत हुई, जिनका विवरण आगे की कंडिकाओं में दिया गया है।

7. वित्तीय अधिदृश्य

(क) बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 88 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा आय-व्यय लेखा (वार्षिक लेखा) तैयार किया जाना था, जिसे नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

हालाँकि अंकेक्षण में रोकड़ बही से उक्त आय-व्ययक मदवार तैयार किया गया था जिसका सार नीचे दिया गया है:-

क्र०सं०	वर्ष	2009-10	2010-11
1	प्रा० शेष	82,24,189.90	92,45,658.90
2	वर्ष की प्राप्ति	51,76,499.00	50,59,178.50
3	कुल प्राप्ति (1+2)	1,34,00,688.90	1,43,04,837.40
4	व्यय	41,55,030.00	32,30,566.00
5	अंतशेष(3-4)	92,45,658.90	1,10,74,271.40

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-II पर)

अंकेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा स्वयं वार्षिक सार तैयार किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा तैयार कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) खाताओं का संचालन

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित खातों का संचालन किया गया था:-

क्र० सं०	बैंक का नाम/खाता सं०	31.03.11 को अंतशेष
1	भारतीय स्टेट बैंक जनकपुर रोड (सीतामढी) खाता सं०-11456663707	34,94,245.17
2	भारतीय स्टेट बैंक जनकपुर रोड (सीतामढी) खाता सं०-11456672075	3,77,458.74
3	इलाहाबाद बैंक, जनकपुर रोड(सीतामढी) खाता सं०-4432	794577.00
4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनकपुर रोड(सीतामढी) खाता सं०-2190799360	74,847.00
5	ट्रेजरी पास बुक	65,96,421.90
		1,13,37,549.81

12e)

उक्त खाताओं के लिए मात्र एक रोकड़ बही लेखापाल रोकड़ बही का संधारण किया गया था। 31.03.11 को लेखापाल रोकड़ बही का शेष ₹1,10,74,271.40 था।

इस प्रकार दोनों आँकड़ों के बीच अंतरांशों में अंतर ₹2,63,278.41(1,13,37,549.81-1,10,74,271.40) था।

उक्त अंतर का समाधान कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

8. बजट की स्थिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेंगे और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका के आय-व्यय का प्राक्कलन होगा। बजट प्राक्कलन मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात् यथाशीघ्र नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। धारा 84 के अनुसार, नगरपालिका 15 मार्च तक बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी तथा राज्य सरकार को भेजेगी।

वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 का बजट निम्नलिखित तिथियों को सरकार को भेजा गया:-

वर्ष	तिथि
2009-10	13.07.09
2010-11	15.04.10

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बजट तैयार करने में आवश्यक समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया। इसका कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

पुनः बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय-व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करने से पाया गया कि बजट वास्तविकता से परे बनाया गया था। यथा, 2010-11 के बजट प्राक्कलन में आय एवं व्यय के निम्न मर्दों में अनुमान किया गया था लेकिन वास्तविक राशि शून्य थी।

आय(₹)

क्र०सं०	मद	बजट प्राक्कलन
1	स्टाम्प ड्यूटी	7,50,000.00
2	नाला निर्माण	25,00,000.00
3	बारहवाँ वित्त आयोग	15,00,000.00
4	पानी कल (Water Supply)	5,00,000.00
5	स्ट्रीट लाइटिंग	8,00,000.00
6	कम्यूनिटी हॉल	10,00,000.00
7	मूत्रालय शौचालय	10,00,000.00
8	प्रशासनिक भवन	38,00,000.00
9	म्यूनिसिपल सैरात	10,00,000.00
10	म्यूनिसिपल लाइसेंस फी	1,00,000.00

व्यय(₹)

क्र०सं०	मद	बजट प्राक्कलन
1	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	8,00,000.00
2	वॉटर सप्लाई	6,00,000.00
3	कम्यूनिटी हॉल	10,00,000.00
4	शौचालय	6,00,000.00
5	कार्यालय भवन	38,00,000.00
6	कानूनी भुगतान	1,50,000.00
7	कमीशन का भुगतान	2,00,000.00

इससे स्पष्ट है कि कुछ मदों में बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय-व्यय में 100% का विचलन/अंतर था।

उक्त विचलन/अंतर का कारण नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया। हालाँकि अंकेक्षण के अंत में लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में तथ्यपरक बजट बनाया जायेगा।

अतः नगर पंचायत के अधिकारियों से अनुरोध है कि तथ्यपरक बजट बनाने के प्रयास शीघ्र प्रारंभ किये जाये।

9. सरकारी अनुदान की स्थिति

अनुदान पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। अतः अनुदानवार एवं अभिश्रववार अनुदानों के व्ययों का विवरण तथा 31.03.11 को अवशेष अनुदान की स्थिति आदि का विवरण अंकेक्षण में पता नहीं लगाया जा सका।

सिर्फ अनुदान की प्राप्ति का वर्षवार विवरण प्राप्त हुआ जो निम्न प्रकार से था:-

वर्ष	प्राप्त अनुदान(₹)
2009-10	44,74,176.00
2010-11	45,08,752.50
कुल	89,82,928.50

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-III पर)

अतः नगर पंचायत को सलाह दिया जाता है कि अनुदान पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित करें जिससे अनुदानों का विस्तृत विवरण का पता लगाया जा सके।

लेखापाल के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. गृहकर

(क) गृह कर वसूली की दयनीय स्थिति

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2010-11 अंतर्गत गृहकर की माँग एवं वसूली की स्थिति निम्न थी:-

वर्ष	कुल माँग	वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत(%)
2009-10	60,55,979.00	3,25,832.00	57,30,147.00	5.38
2010-11	63,01,024.00	4,23,352.00	58,77,672.00	6.72

चूँकि नगर पंचायत के द्वारा गृहकर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः उपलब्ध कराये गये आँकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत अत्यंत निम्न था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति किये जाने पर लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु विवरण से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

अतः कार्यपालक का ध्यान कम वसूली की ओर आकृष्ट किया जाता है ताकि गृहकर वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिये ठोस प्रयास किये जा सकें। इसके अलावे माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(ख) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को जमा नहीं

नगर पंचायत के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान शिक्षा उपकर के रूप में ₹92,003.00 तथा स्वास्थ्य उपकर के रूप में ₹92,003.00 की राशि वसूल की गयी। सरकारी निर्देशानुसार शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के अंतर्गत वसूली गयी राशि में से 10% कलेक्शन चार्ज काटकर 90% राशि संबंधित विभाग को भेजनी थी। लेकिन नगर पंचायत सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि की गणना निम्नवत् है:-

वित्तीय वर्ष	शिक्षा उपकर वसूल राशि	स्वास्थ्य उपकर वसूल राशि
2009-10	40,037.95	40,037.95
2010-11	51,965.05	51,965.05
	92,003.00	92,003.00
10% वसूली शुल्क	9,200.00	9,200.00
सरकारी खाते में नहीं जमा की गयी राशि	82,803.00	82,803.00
कुल राशि	1,65,606.00	

लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

अतः 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की वसूली गयी राशि का 90% राशि ₹1,65,606.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवाया जाय।

11. नहीं जमा/कम जमा ₹1,47,471.00

नगर पंचायत के विभिन्न कर संग्रहकर्ताओं द्वारा वसूल किये गये कर की राशि एवं उसके विरुद्ध जमा की गयी राशियों की जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹1,47,471.00 की राशि कम/नहीं जमा की गयी थी। लेखापरीक्षा आपत्ति के उपरांत संबंधित व्यक्तियों द्वारा ₹1,21,221.00 की राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं० 11456663707 में जमा कर दी गयी। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	रसीद सं०/दिनांक	वसूली गई राशि(₹)	जमा की गई राशि(₹)	कम जमा(₹)	कर संग्रहकर्ता का नाम एवं अंकेक्षण आपत्ति किये जाने के बाद जमा की राशि/दिनांक
1	विविध रसीद	1,22,750.00	शून्य	1,22,750.00	श्री राम कुमार चौधरी
	901-1000 / 30.12.09-06.01.02				1,00,000.00
	1101-1120 / 11.02.12-17.03.12				दिनांक-27.03.12
2	विविध रसीद	1850.00	शून्य	1850.00	श्री लालधारी प्रसाद
	1066-1071 / 10.02.12-22.03.12				1850.00
					दिनांक-27.03.12
3	एच रसीद	18,549.00	शून्य	18,549.00	श्री राजेन्द्र साह
	1942-1965 / 14.03.12-26.03.12				18,549.00
					दिनांक-29.03.12
4	एच रसीद	55,325.16	54,503.00	822.00	श्री राजेन्द्र साह
	1447-1483 / 15.06.10-28.06.10			(approx)	822.00
					दिनांक-29.03.12
5	आरक्षण रसीद	3500.00	शून्य	3500.00	श्री राम कुमार चौधरी
	181-184 / 03.03.12-16.03.12				
				1,47,471.00	1,21,221.00

शेष ₹26,250.00 (1,47,471.00-1,21,221.00) कम/नहीं जमा की राशि श्री राम कुमार चौधरी, सफाई जमादार के द्वारा नहीं जमा की गयी।

अतः ₹26,250.00 के कम/नहीं जमा की राशि श्री राम कुमार चौधरी, सफाई जमादार से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा की जाय एवं अगले अंकेंक्षण को दिखाया जाय।

12. नक्शा पारित करवाये बिना मकान बनाने वाले गृहस्वामियों से शुल्क की वसूली ₹3.11 लाख

नगर पंचायत, द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 311 मकान(2009-10 में 214 तथा 2010-11 में 97) बगैर नक्शा पारित कराये ही बनाये गये। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-IV पर)

नगर पंचायत बोर्ड के दिनांक 26.07.11 की सामान्य बैठक के प्रस्ताव सं0-4 के अनुसार उक्त वित्तीय वर्षों में नक्शा पास कराने का शुल्क ₹300.00 था। अतः स्पष्टतः बगैर नक्शा पास कराये मकान बनाने से उक्त वित्तीय वर्षों में नगर पंचायत को ₹93,300.00 (311 x 300) के राजस्व की हानि हुई।

पुनः उक्त प्रस्ताव सं0-4 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बोर्ड द्वारा ऐसे ऐसे निर्मित भवन का नक्शा पारित करने का शुल्क ₹1,000.00 लेने की स्वीकृति की गयी थी।

अतः ₹3,11,000.0 (311 x 1000) की वसूली संबंधित गृहस्वामियों से की जाय।

अंकेंक्षण आपत्ति किये जाने पर लेखापाल ने जवाब दिया कि उक्त मकानों का नक्शा पास कराया जायगा एवं राशि की वसूली की जायगी।

13. बकाया मोबाईल टावर शुल्क-₹19.20 लाख

सरकारी दिशा निर्देशानुसार मोबाईल टावर शुल्क उसके प्रतिमीटर प्रतिवर्ष ₹2,000.00 की दर से वसूलने का प्रावधान था।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 का 7 मोबाईल टावर का ₹19,20,000.00(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-V पर) का शुल्क, जो नगर पंचायत द्वारा वसूलनीय था, अंकेंक्षण आपत्ति किये जाने के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि मोबाईल टावर शुल्क की वसूली की जायगी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि बकाया शुल्क ₹19,20,000.00 की वसूली हेतु यथाशीघ्र कदम उठाया जाये।

14. सैरातों को नगर पंचायत को हस्तांतरित न होने के कारण राजस्व की हानि

नगर पंचायत, जनकपुर रोड(सीतामढी) के अंतर्गत सार्वजनिक सम्पत्तियों के संबंध में आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश नामक संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत, जनकपुर रोड द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरकारी सम्पत्तियों के हस्तांतरण हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढी को पत्रांक 265 दिनांक 29.11.07 के द्वारा अनुरोध किया गया था। परंतु हस्तांतरण के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

पुनः सरकार के उप सचिव सह निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5284/8.09.10 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित हाट, गुदरी बाजार, पोखरा एवं परती भूमि आदि सार्वजनिक सम्पत्ति नगर पंचायत की थी।

अतः नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र के आलोक में पुपरी हाट सह बाजार से कौड़ी वसूली करायी गयी परंतु अपर समाहर्ता, सीतामढी द्वारा अपने पत्रांक 49 दिनांक 8.01.11 से रोक दिया गया।

स्पष्टतः नगर पंचायत जनकपुर रोड क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तियाँ/सैरात नगर पंचायत को अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर पंचायत द्वारा उक्त सैरातों की बंदोबस्ती/विभागीय वसूली नहीं की जा रही थी। फलस्वरूप नगर पंचायत को राजस्व की भारी क्षति हो रही थी।

अंकेक्षण आपत्ति किये जाने पर लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि सैरातों के हस्तांतरण के लिये कार्रवाई की जा रही है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत सैरातों को कब्जे में लेने के लिए और ठोस प्रयास किये जाये जिससे राजस्व की वृद्धि हो सके तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

15(क) अपूर्ण योजनाओं में लंबित अग्रिम-₹16.68 लाख

योजना पंजी एवं संचिकाओं के नमूना जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल 15 योजनायें ली गईं जिनकी प्राक्कलित राशि ₹52,01,739.00 थी। इन योजनाओं में से कुल 06 योजनायें अपूर्ण थीं जिसमें कुल ₹16,67,531.00 का अग्रिम लंबित था। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र० सं०	मद	वर्ष	कुल ली गयी योजनायें	प्रा० राशि(कुल)(₹)	अपूर्ण योजनाओं की सं०	लंबित अग्रिम(₹)
1	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	2009-10	01	25,29,600.00	01	11,70,000.00
		2010-11	-	-	-	-
2	नागरिक सुविधा मद	2009-10	-	-	-	-
		2010-11	01	2,65,367.00	-	-
3	12 वीं वित्त मद	2009-10	02	2,80,000.00	02	1,71,531.00
		2010-11	02	3,28,868.00	01	-
4	BRGF मद	2009-10	09	16,97,904.00	02	3,26,000.00
		2010-11	-	-	-	-
	कुल	2009-10	12	46,07,504.00	05	16,67,531.00
		2010-11	03	5,94,235.00	01	-
			15	52,01,739.00	06	16,67,531.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VI पर)

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि अपूर्ण योजनायें पूर्ण करायी जायेंगी।

अतः नगर पंचायत अधिकारियों का सलाह दी जाती कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाये जाये जिससे कि योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

(ख) श्रम उपकर की कटौती नहीं ₹15,606.00

बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक 3714, दिनांक-15.09.10 के अनुसार निर्माण कार्य संबंधी योजनाओं से कुल लागत का 1% लेबर सेस के रूप में वसूल करना है तथा इसे संबंधित विभाग को जमा करना है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल 9 पूर्ण योजनाओं में ₹15,60,623.00 का व्यय हुआ। (विवरण परिशिष्ट-VI में उपलब्ध)। परंतु अभिकर्ता विपत्र से 1 लेबर सेस की राशि ₹15,606.00 की कटौती नहीं की गयी।

अंकेक्षण आपत्ति किये जाने के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि श्रम उपकर की राशि वसूल की जायगी।

अतः नगर पंचायत अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि उक्त लेबर सेस की राशि ₹15,606.00 यथाशीघ्र संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर संबंधित खाते में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

16. विलंब से पूर्ण की गई योजनाओं में विलंब शास्ति नहीं काटना-₹1,43,456.00

परिमाण विपत्र में दिये गये ' संविदा की शर्तें (Conditions of Contract) के कंडिका-2 के अनुसार अभिकर्ताओं/संवेदकों के समय से कार्य पूर्ण नहीं करने पर उसके प्रत्येक दिन की देरी के लिए ½ % (प्राक्कलित राशि का) की दर से अधिकतम 10% क्षतिपूर्ति(Compensation) के रूप में काटने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत के योजना संचिकाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि विलंब से कार्य पूर्ण करने के बावजूद संवेदकों के विपत्रों से क्षतिपूर्ति राशि ₹1,43,456.00 की कटौती नहीं की गयी। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि राशि की वसूली अथवा अवधि विस्तार की अनुशंसा की जायगी।

स्पष्टतः विलंब से पूर्ण की गयी उक्त योजनाओं को अवधि विस्तार की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। अतः नगर पंचायत के अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि उक्त ₹1,43,456.00 की क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण को दिखावें।

17. दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय ₹3,43,623.00

लेखापाल रोकड़ बही से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कुल ₹3,43,623.00 की राशि दैनिक कर्मचारियों को भुगतान की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वर्ष	दैनिक वेतन भोगी कर्मों पर व्यय(₹)
1	2009-10	1,10,123.00
2	2010-11	2,33,500.00
		3,43,623.00

ध्यातव्य है कि बिहार सरकार के पत्रांक 7204/24.11.77, 4052/15.10.81 टेलीप्रिन्टर मेमो नं० 3527/02. 08.08 एवं 103/87-06.05.92 द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगायी गई है।

स्पष्ट है कि सरकार के रोक के बावजूद नगर पंचायत द्वारा विभिन्न दैनिक भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी और उनके परिश्रमिक पर ₹3,43,623.00 का व्यय किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि सरकार से दैनिक भोगी कर्मियों के पदों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित है।

अतः व्यय राशि के सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक ₹3,43,623.00 के व्यय को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

18. स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल की स्थिति

नगर पंचायत के द्वारा विभिन्न दिये गये आँकड़ों के अनुसार नगर पंचायत में स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल निम्न प्रकार से था:-

क्र० सं०	पदनाम	पदों की स्वीकृत सं०	कार्यरत बल	रिक्ति
1	नगर प्रबंधक	01	01	-
2	प्रधान सहायक सह लेखापाल	01	01	-
3	टैक्स दारोगा सह रोकड़पाल	01	01	-
4	सफाई जमादार	01	01	-

5	आदेशपाल	01	01	—
6	सफाई मेहतर/मेहतरानी	05	04	01
		10	09	01

उक्त स्वीकृत बल सरकार के पत्र 933 दिनांक 20 फरवरी 1979 के आधार पर है। जो कि अप्रासंगिक हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने जो भी अपने पत्रांक 3115 दिनांक 02.06.11 के द्वारा नगर निकायों के स्वीकृत बल को तर्कसंगत बनाने एवं नये पदों के सृजन की बात कही है।

अतः उक्त पत्र के आलोक में नये पदों के सृजन के लिये सरकार से आग्रह किया जाये जिससे नगर पंचायत के स्वीकृत बल तर्कसंगत हो सकें।

19. अग्रिम

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः 01.04.09 को लंबित अग्रिम, वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान दिये गये अग्रिम एवं उनका समायोजन तथा 31.03.11 को अग्रिम की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। परन्तु योजना पंजी/संचिकाओं के अनुसार 6(छः) अपूर्ण योजनाओं में ₹16,67,531.00 की अग्रिम राशि लंबित थी।

अतः नगर पंचायत द्वारा अग्रिम का सामंजन करवाया जाय एवं अग्रिम पंजी का संधारण किया जाय तथा अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

20. कार्यपालक से वार्तालाप

अंकेक्षण के दौरान एवं अंतिम दिन को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपत्तियों पर चर्चा की गयी।

21. लेखा परीक्षा परिणाम

क्र०सं०		राशि(₹)
1	लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गयी राशि	1,21,221.00
2	वसूली के लिये सुझायी गयी राशि	1,85,312.00
3	लेखापरीक्षा, आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि	3,43,623.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VIII पर)

22. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत द्वारा राजस्व उगाही की स्थिति बेहद निराशाजनक थी। एक ओर गृहकर की वसूली की स्थिति दयनीय थी, बगैर नक्शा पास कराये मकान बनाने से राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरी ओर सैरातों के हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण राजस्व की भारी हानि हो रही थी। योजनाओं के क्रियान्वयन में संविदा की शर्तों का ध्यान नहीं रखा गया था। नगर पंचायत द्वारा प्रमुख अभिलेख जैसे अग्रिम पंजी, अनुदान पंजी, परिसम्पत्ति पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया जाता था। नगर पंचायत के कर्मचारियों के स्वीकृत बल की संख्या तर्कसंगत नहीं थी।

—हस्ता0—
कुमार प्रज्ञामूर्ति
(स0 ले0 प0 अ0)

—अनुमोदित—
उपमहालेखाकार(एस0 एस0-1)
—सह—
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

108/ सं० एल० ए०/एस० एस०-1/ श० स्था० नि०/

दिनांक:-

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जनकपुर रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनो के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

“यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।”

-३०-


लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर-I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

सं० एल० ए०/एस० एस०-1/ श० स्था० नि०/14317/933

दिनांक:- 24.12.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- ✓ (i) प्रधान सचिव, बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना
- (ii) जिलाधिकारी, सीतामढी


26/12/12

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर-I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I (क)

प्रतिवेदन की संख्या 3 में संदर्भित

अभिलेख / संचिका / पंजी जो अंकेशन तक के
समय प्रस्तुत किये गये

- (1) लेखापाल रोकड़ बही
- (2) कोषागार पास बुक
- (3) बैंक पास बुक / स्टेटमेंट्स
- (4) खज रसीद, विविध रसीद एवं संबंधित गणना पंजी
- (5) पैसा संग्रह पंजी
- (6) भाजना पंजी
- (7) भाजना संचिकाएँ
- (8) नजर पंजी
- (9) प्रोसिडिंग बुक
- (10) मोवाइल राता बुक जे संबंधित संचिका
- (11) सौराता के अ हस्तांतरण जे संबंधित संचिका
- (12) अभिलेख
- (13) चंके अपकड़ी

10/10

परिशिष्ट - I (ख)

प्रतिवेदन की कंडिका 3 में संदर्भित

अभिलेख / संचिका / पंजी जो अंकेशन पल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायें

- (1) वार्षिक लेखा
- (2) आय-व्यय का मासिक एवं त्रैमासिक लेखा
- (3) अनुदान पंजी
- (4) ऋण पंजी
- (5) ऋण विनियोग पंजी
- (6) अग्रिम पंजी
- (7) अभिभोजन पंजी
- (8) समापोजन पंजी
- (9) भविष्य निधि लेख
- (10) निक्षेप पंजी (Deposit ledger)
- (11) निवेश पंजी
- (12) भंडार पंजी
- (13) सेवा पुस्तिका
- (14) ईंधन खाता
- (15) अंकेशन पंजी (Audit register)
- (16) सम्पत्ति पंजी
- (17) निष्करण पंजी
- (18) वाहन खाता (Vehicle account)
- (19) मांग एवं संग्रह पंजी
- (20) परिशिष्ट I (ख) में वर्णित अभिलेखों को छोड़कर अन्य कोई अभिलेख।
- (21) शैरात पंजी

[Handwritten signature]

परिषद वनायत,
जयपुर

Annual A/c (2009-10)

(19)

परिशिष्ट - II

प्रतिवेदन की कंडिका 7 (क) में
संशोधित

- 1. प्राण शेष - 82,24,189 = 90
- 2. आय
 - (i) स्वयं के स्रोत से - 4,96,663 = 00
~~3,46,663 = 00~~
 - (ii) मुख्यमंत्री शहरी - 14,88,000 = 00.
विद्यालय योजना
 - (iii) क्वीट अंशोक्ति - 1,80,000 = 00.
योजना
 - (iv) वी० भद्रजी स्मृति - 12,65,070 = 00
 - (v) वेतन भत्ता - 2,96,791 = 00
 - (vi) 12 वां बिल - 10,94,928 = 00
 - (vii) मैजिस्ट्रट ग्रांट - 87,587 = 00
 - (viii) निर्वाचित सदस्यों - 61,800 = 00.
के लिये भत्ता
2,05,660 = 00
~~1,7,41,28 = 00~~
 - (ix) ध्याज -

51,76,499 = 00

3. कुल आय - 1,34,00,688 = 90
(1+2)

- 4. व्यय -
 - (i) व्यापक सुगमता - 2,49,501 = 00.
 - (ii) वेतन सुगमता - 12,60,521 = 00.
 - (iii) S.J.S.R.y - 4,25,500 = 00.
 - (iv) क्वीट अंशोक्ति - 90,000 = 00.
 - (v) ~~व्यय~~
 - (vi) योजना - 17,44,523 = 00.
 - (vii) बैंक कमीशन - 760 = 00
 - (viii) स्थापना एवं - 3,15,425 = 00
विविध
 - (ix) मितल कि - 68,800 = 00
उद्योग की
सुगमता

41,55,030 = 00

15) अंतर शेष - 92,45,658 = 90
(3-4)

Handwritten signature
A-A-0

Annual Account (2010-11)

(2)

परिशिष्ट - II

1. प्रारंभ - 92,45,658=90.
- (2) आय -
 - (i) संव्यय व खोत्र से - 4,06,222=00.
 - (ii) कवीर अल्पेष्टि - 58,000=00.
 - अनुदान
 - (iii) उभाज - 75,762=00
 - (iv) राशन कार्ड - 1728=50
 - के लिये अनुदान
 - (v) डिजल सब्सिडी - 175,640=00
 - उप-उपकरण
 - (vi) सिरी मैनेजर के - 1,40,000=00.
 - लिये फिक्स्ड
 - अनुरोध
 - (vii) निर्दिष्ट सदस्यों - 61,800=00.
 - के लिये भत्ता
 - (viii) गृह कार्य - 68,442=00
 - (ix) जो आरंभ - 6,24,230=00
 - कर
 - (x) ट्रेनिंग खर्च - 87,100=00
 - अनुरोध
 - (सुपर वाइज)
 - (xi) फैमिली आय - 90,000=00.
 - अनुदान
 - (xii) वेतन अनुदान - 2,01,124=00
 - (xiii) खड़क निर्माण - 20,00,000=00.
 - अनुदान
 - (xiv) तेरहवां - 5,00,000=00
 - (xv) निर्दिष्ट गैर - 5,69,130=00

50,59,178=50

(3) कुल आय - 1,43,04,837=40.

- (4) उपभोग -
 - (i) भोजना - 15,14,654=00
 - (ii) ट्रेकर का - 6815=00
 - वैद्यी रूप
 - (iii) कवीर अल्पेष्टि - 45,000=00
 - (iv) वैक कमीशन - 703=00
 - (v) वेतन खर्च - 1179326=00
 - उपभोग 11,56,188=00
 - (vi) अनुदान अनुदान - 25,202=00.
 - (vii) सिंहासन - 14636=00
 - (viii) निर्दिष्ट सदस्यों - 64016=00
 - के लिये
 - (ix) अनुदान खर्च - 43,316=00
 - अनुदान, निर्दिष्ट खर्च
 - अनुदान
 - (x) निर्दिष्ट - 1,43,600=00
 - (xi) निर्दिष्ट
 - (xii) फैमिली - 90,000=00
 - अनुदान

* (xii) कठ बूजा खड़क - 17,000=00

भरवाई

(xiii) जनगणना कार्यकारी - 87,100=00.

के अनुदान

32,30,566=00

(5) अंतरांश - 1,10,74,271=40

(3)-4

HR

पक्रियत - III

प्रतिवेदन की कंडिकाओं में संदर्भित (१३)

संवत्सरी अनुदान (२००९-१०)

नगर पंचायत जगदपुर रोड,
खीनामदी

क्र.सं.	अनुदान विवरण	पत्रांक / दिनांक	मूल
1.	14,88,000 = 00	15/25.02.09	मुख्यामंत्री नगर शिक्षा आयना
2.	30,000 = 00	100/13.06.09	कुबीर अंतर्गृह आयना
3.	30,000 = 00 (2+3) = 1,80,000 = 00	702/23.09.09	- तर्षक -
4.	5,16,215 = 00	_____	वी.आ. जी.एफ
5.	87,633 = 00	_____	- तर्षक -
6.	6,61,922 = 00 (4+5+6) = 1,965,070 = 00	03/05.01.10	- तर्षक -
7.	2,96,791 = 00	130/21.10.09	वैतन अनुदान
8.	5,90,076 = 00	27/17.03.10	12 कां विना
9.	2,59,426 = 00	28/17.03.10	- तर्षक -
10.	2,59,426 = 00 (8+9+10) = 1,094,928 = 00	41/25.03.10	- तर्षक -
11.	87,587 = 00	26/16.03.10	मैचिंग ग्रांट
12.	61,800 = 00	30/19.03.10	निर्वाचित सदस्यों का गति अनुदान
कुल = 44,74,176 = 00			

मुख्या
मनारजन प्रो.सिंह
2010